न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :- 11/2024 दायरा दिनांक 04.06.2024
GCMS No. 2024/42

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

उत्तरा पुत्री बाबूलाल पत्नि सुरेश तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला –बारां, राज. हाल निवासी रैन बसेरा, श्रीलाल का बाडा, कमलागंज शिवपुरी मध्यप्रदेश पिन कोड नम्बर 473551 – अपीलाण्ट

बनाम

1. परमानन्द पुत्र रंगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
2. नरेन्द्र पुत्र रंगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
3. हरिओम पुत्र रंगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
4. देवकरण पुत्र रंगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
5. कुसुम उर्फ सुमन पुत्री रंगीलाल पत्नि कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला–बारां राज. हाल निवासी कढेसरा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र. पिन नं. 473774
6. सुनीता पुत्री रंगीलाल पत्नि दिलीप जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला–बारां राज. हाल निवासी मुकाम सुआटोर पोस्ट खरई तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.।
7. उषा पुत्री रंगीलाल पत्नि ललित जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बूढानोनेरा तहसील शाहबाद जिला–बारां राज. हाल निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला–बारां राज.
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
श्री हेमराज नामदवे – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 21-10-2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 127 दिनांक 17.11.2021 ग्राम घरघुसा

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 127 दिनांक 17.11.2021 ग्राम घरघुसा को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम घरघुसा पटवार क्षेत्र मझारी तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर संख्या 49/106 रकबा 10.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है जो कन्हैयालाल पुत्र अमरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बूढानोनेरा के खाते की रही है, जिनकी मृत्यु के बाद में वहक रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 दर्ज किया गया प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

दर्ज खातेदार कन्हैयालाल पुत्र अमरलाल अविवाहित लाऔलाद फोत हुये हैं, जिनके सगे भाई रंगीलाल तथा बाबूलाल थे, रंगीलाल व बाबूलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, मृतक रंगीलाल के रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 पुत्र–पुत्री तथा मृतक बाबूलाल की अपीलान्ट एकमात्र पुत्री मौजूद है जो मृतक खातेदार कन्हैयालाल के सगे भाईयों के पुत्र–पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रावधान

अनुसार मृतक कन्हैयालाल के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी है। इस कारण मृत कन्हैयालाल की विरासत वहक अपीलान्ट हिस्सा 1/2 तथा वहक रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 7 हिस्सा 1/2 से दर्ज की जानी चाहिए थी, ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने मृत कन्हैयालाल की विरासत अकेले रंगीलाल के पुत्र–पुत्री अर्थात् रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 के हक में दर्ज कर कानूनी भूल की है। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट विवाहित होकर अपने ससुराल में निवास करती है और समय–समय पर अपने पीहर ग्राम बूढानोनेरा आकर विवादित आराजी की काश्त व्यवस्था देखती है, परन्तु अपीलान्ट के कोई सगा भाई नहीं होने से तथा अपीलान्ट के ससुराल में निवास करने का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट मिलकर अपीलान्ट को विवादित आराजियात काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं दिनांक 17.05.2024 को जब अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 से ग्राम बूढानोनेरा स्थित पैत्रक आराजी का विभाजन कराने को कहा तो रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 7 ने साफ इन्कार कर दिया और अपीलान्ट को धमकी दी कि उन्होंने घरघुसा तहसील शाहबाद स्थित कन्हैयालाल पुत्र अमरलाल की उक्त आराजी को अपने नाम करा लिया है और उसी आधार पर कन्हैयालाल की ग्राम बूढानोनेरा स्थित आराजी हिस्सा 1/3 को अपने नाम करावेगें, तब अपीलान्ट को प्रश्नगत को प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि अपीलान्ट ने दिनांक 24.05.2024 को हल्का पटवारी को प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन कर दिया और तैयार नकल 24.05.2024 को ही प्राप्त कर सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील अन्दर मियाद पेश है।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्टगण बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे है इनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस में कथन किया कि खातेदार कन्हैयालाल पुत्र अमरलाल अविवाहित लाऔलाद फोत हुये हैं, जिनके सगे भाई रंगीलाल तथा बाबूलाल थे, रंगीलाल व बाबूलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, मृतक रंगीलाल के रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 पुत्र–पुत्री तथा मृतक बाबूलाल की अपीलान्ट एक मात्र पुत्री मौजूद है जो मृतक खातेदार कन्हैयालाल के सगे भाईयों के पुत्र–पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रावधान अनुसार मृतक कन्हैयालाल के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी है। इस कारण मृत कन्हैयालाल की विरासत वहक अपीलान्ट हिस्सा 1/2 तथा वहक रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 7 हिस्सा 1/2 से दर्ज की जानी चाहिए थी, ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने मृत कन्हैयालाल की विरासत अकेले रंगीलाल के पुत्र–पुत्री अर्थात् रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 के हक में दर्ज कर कानूनी भूल की है। प्रश्नगत नामान्तरकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्व होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में मृतक बाबूलाल की अपीलान्ट एकमात्र पुत्री मौजूद है जो मृतक खातेदार कन्हैयालाल के सगे भाईयों के पुत्र–पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रावधान अनुसार मृतक कन्हैयालाल के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम घरघुसा का नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 17.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 17.11.2021 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner